न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
53/2023	दावा 136 LRA	04.10.2023	~~11.01.2023~~ 11.01.2024

सैयद हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद, जाति–तेली, निवासी– तेलियान का मोहल्ला, मस्जिद नीलगरान के पास, वार्ड सं. 07 चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

–प्रतिवादीगण–

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA

उपस्थित –1. अधिवक्ता राहुल सोनी
2. पैरोकार राज

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की एक कृषि भूमि वाके रोही चूरू, पटवार हल्का, चूरू, भू.अभि.नि. क्षेत्र चूरू तहसील व जिला चूरू के नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है जमाबन्दी(खेवट/खतोनी) संवत् 2071–2074 खाता संख्या नया 696 खाता संख्या पुराना 592 के अनुसार खसरा नं. 1824/207 तादादी 2.8581 हैक्टेयर जिसमें वादी का संपूर्ण हिस्सा है। बारानी की खातेदारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। उपर्युक्त कृषि भूमि वादी के संपूर्ण हक हिस्सा की भूमि वादी के कब्जा एवं अधिकार में है जिन पर वह स्वयं ही काश्त करता है

वादी के पिता काश्तकार नूर मोहम्मद जी का बमुकाम चूरू में दिनांक 06.11.1990 को स्वर्गवास हो गया। जिनकी मृत्यु उपरांत उक्त खसरा कृषि भूमि का इंतकाल प्रार्थी के नाम दर्ज हो गया। किन्तु रेवेन्यू रिकॉर्ड अधिकारी की गलती से प्रार्थी के पिता का नाम गलती से नूर मोहम्मद की जगह नूरा अंकित हो गया। जबकि वादी के पिता का आधार कार्ड, विधानसभा निर्वाचन नामावली आदि में नूर मोहम्मद पुत्र अल्लादीन निवासी चूरू है। इस प्रकार वादी के पिता पिता के सही नाम नूर मोहम्मद की जगह रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी में नूरा के नाम से अंकित हो गया और वादी के अपने पिता के गलत नाम के साथ सैयद हुसैन पुत्र नूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड में अंकित है।

वादी सैयद हुसैन अपनी कृषि भूमियों पर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेना चाहता है जो खातेदारी में सैयद हुसैन पुत्र नूरा गलत नाम दर्ज होने की वजह से प्राप्त करने में असमर्थ है। जिस वजह से वह उक्त योजनाओं का लाभ लेने से वंचित है तथा वादी को भविष्य में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आये इस कारण वादी रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपने पिता के गलत नाम नूरा की जगह नूर मोहम्मद दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने तहसीलदार, चूरू व पटवार हल्का चूरू से संपर्क किया तथा अपने पिता के नाम नूरा के स्थान पर नूर मोहम्मद लिखने के लिये निवेदन किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर रेवेन्यू रिकॉर्ड मे नाम दुरूस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष वाद प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करने का दिनांक 28.09.2023 को जुबानी कहा।

दावे का हैतुक उपर्युक्त मद में लिखे कारण है तथा खातेदारी में वादी के पिता का नाम गलत नाम अंकन होने से यह नाम दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत करने के लिये वादी को वादकारण व वाद हैतुक प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:48 IST
Reason: SelfAttested

वादी कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू [illegible] है तथा वादी के आधार कार्ड आदि दस्तावेजात् में भी वादी के पिता का नाम का[illegible] न[illegible]र मोहम्मद दर्ज है। अतः यह नाम दुरूस्ती रिकॉर्ड का दावा माननीय न्या[illegible] हेतु निर्धारित न्याय शुल्क पर यह दावा हर प्रकार अंदर मियाद [illegible]ालतवाला है।

अतः दावा–हाजा प्रस्तुत करके प्रार्थी वादी [illegible] कि दावें हाजा की डिक्री [illegible] वादी नीचे लिखे अनुसार जारी फरमायी जावें।

रेवेन्यू रिकॉर्ड, जमाबन्दी आदि में खातेदार वादी सैयद हुसैन के पिता नूर मोहम्मद जिनका गलती से रेवेन्यू रिकॉर्ड में नूरा अंकित हो गया को दुरूस्त कर नूर मोहम्मद दर्ज किये जाने का आदेश व डिक्री जारी की जावें तथा तहसीलदार, चूरू को इस हेतु निर्देश दिये जावे कि वे रेवेन्यू रिकॉर्ड में उपर्युक्त लिखे अनुसार नाम दुरूस्ती करें तथा अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो वादी के हक का हो/भविष्य में हो जावें प्रदान किया जावें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धार 136 LRA का पेश करने पर पत्रावली मुरतीब हुई। प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्ट्रर होकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। प्रकरण नाम दुरूस्ती का होने से तहसीलदार, चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चूरू की जांच रिपोर्ट के अनुसार सैयद हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद जाति तेली निवासी चूरू का नाम पूछताछ एवं दस्तावेजों के आधार पर सैयद हुसैन के पिता का सही नाम नूर मोहम्मद है। अतः नूरा एवं नूर मोहम्मद दोनों एक ही व्यक्ति है। जो कि शुद्ध किया जाना उचित होगा। तहसीलदार, चूरू ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट को ही जवाब माना जावें। प्रार्थी की ओर से सतार पुत्र खुदा बक्श व जैतुन पुत्री अब्दुल रहमान ने शपथ –पत्र पेश किया जिनके अनुसार सैयद हुसैन के पिता का नाम नूर मोहम्मद ही है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि अप्रार्थी अधिवक्ता जवाब नहीं देना चाहते इसलिए बहस सुनी जावें जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 रोही ग्राम चूरू खसरा संख्या 1824/207 में सैयदहुसैन पुत्र नूरा हिस्सा पूर्ण जाति तेली निवासी चूरू खातेदार दर्ज है। वादी के आधार कार्ड व निर्वाचक नामावली विधान सभा चूरू 2004 में वादी के पिता का नाम नूर मोहम्म्द है। निर्वाचक नामावली 1966 विधान सभा चूरू में वादी के पिता का नाम नूरमोहम्मद /अलादीन दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के अनुसार नूरा व नूर मोहम्मद दोनो एक ही व्यक्ति के दो नाम है।

इस प्रकार प्रार्थी द्वार प्रस्तुत दस्तावेजात्, पड़ोसजनों के शपथ–पत्र एवं पटवारी जांच रिपोर्ट व तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उचित प्रतीत होता है। वादगत कृषि भूमि वाके रोही चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज चला आ रहा है जिसको सही व दस्तावेजों के अनुरूप दर्ज करवाने के लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है तथा इस प्रकार के संशोधन से राज्य सरकार को कोई हानि होने की संभावना नहीं है। साथ ही इस प्रकार के संशोधन से सह–खातेदारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड्ने की संभावना भी नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजात् में नाम की भिन्नता के कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि से राजस्व संबंधित सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उचित होने से स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दावा अन्तर्गत धारा 136 LRA स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि वाके रोही चूरू तहसील चूरू के खसरा नं. 1824/207 किस्म बारानी तादादी 2.8581 हैक्टेयर की जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित सैयदहुसैन पुत्र नूरा के स्थान पर सैयदहुसैन पुत्र नूर मोहम्मद दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार, चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 11.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:48 IST
Reason: SelfAttested

11/01/2024
(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू